फॉर्म सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) मिश्रीलाल पासवान पिता स्व0 गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व0 थनेश्वर राम, निवास स्थान डुड्डुडु पंडितजी मुहल्ला, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–डुड्डुडु, थाना संख्या–147, खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–2016 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि अशोक राम पिता गांगो राम, निवास स्थान ग्राम–बड़कागाँव, पोस्ट वो थाना–बड़कागाँव, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-382/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2089/रा0 दिनांक 17.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1671 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत कलपू दुसाध वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 18.09 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 12.34 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-71 पर ऑनलाईन में कैलाश दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2023–24 तक निर्गत् है। आवेदक संख्या–01 के छरदादा एवं आवेदक संख्या–02 के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 12.30 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) मिश्रीलाल पासवान पिता स्व0 गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व0 धनेश्वर राम, निवास स्थान हुड़हुड़ु पंडितजी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़ु, थाना संख्या-147, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-2016 रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि अशोक राम पिता गांगो राम, निवास स्थान ग्राम-बड़कागाँव, पोस्ट वो थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.23 16:54:21 +05:30
Location: 192.168.0.107